Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old

<u>अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी,पूर्णिया बिहार</u>

स्वत्व वाद सं.- 205/12

सी.आई.एस सं.-205/12

योगी दास बनम बासुदेव दास

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
10/05/24	प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। वादी की कोइ पैरवी नही है	यह वाद प्रतिउत्तर हेतु प्रस्तुत किया गया है	पुकार पर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए एवम प्रतिउत्तर न देकर मौखिक आपत्ति किए	वादी के विधिक वारिस की ओर से आदेश 22 नि.3,9,दिवानी प्रक्रिया संहिता एवम धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 06/03/24 प्रस्तुत कर समर्पित किया गया है की वादी योगी दास की मृत्यु दिनांक 02/07/23 को हो गई है जो अपने पिछे अपनी पत्नी मीरा देवी एवम एक पुत्री रीता देवी को छोड कर मरे हैं	वादी के वारिसान सदमाग्रस्त होने के कारण एवम अशिक्षित होने के कारण नियत समय मे यह आवेदन प्रस्तुत नही कर सकी है ऐसी दशा मे वाद यदि उपशमित हो जाएगा तो उसे अपुरणीय क्षति होगी	अत: विनम्र निवेदन है की विलम्ब को माफ कर उपशमन को अपास्त कर वादपत्र से वादी का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित करने की कृपा करे | प्रतिवादी के द्वारा मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया | उभय पक्ष पक्ष को सुना	अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी की मृत्यु दिनांक 02/07/23 को हो गई है| प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 28/02/24 को सुचना न्यायालय को दी गई है तत्पश्चात वादी के विधिक वारिसान के द्वारा यह आवेदन विलम्ब का कारण दर्शित करते हुए दिया गया है की वह सदमाग्रस्त एवम अशिक्षित होने के कारण नियत समय मे यह आवेदन नही दे सकी है	वादी के विधिक वारिसान के द्वारा दर्शित विलम्ब का कारण समाधान प्रद प्रतीत होता है अत: वादी के विधिक वारिसान के उक्त आवेदन को विलम्ब को माफ कर न्यायहित मे स्वीकृत कर उपशमन को अपास्त कर वादपत्र से वादी नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है	कार्यालय आदेशानुसार वादपत्र को संशोधित करे | वाद आगामी दिनांक 27/05/24 प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत| लेखापित- असैनिक न्या.(व.को.)बनमनखी पूर्णिया ,बिहार	